कार्यालय उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, कानपुर रीजन,
123/494, के0एन0टी0 बिल्डिंग, फजलगंज, कानपुर।

संख्या 760 उ0नि0/वि0सु0/का0री0/एच0टी0/नियम–63/निरी0/2017–18, दिनांक : 25-7-17

सेवा में,

श्रीमती शकुन्तला साहनी,
परिसर. नं0–63/3, हरबंश मोहल,
कानपुर।

विषय : 6.6/0.433 के0वी0, 250 के0वी0ए0 X 1 नं0 ट्रांसफारमर सबस्टेशन के विद्युतीय अधिष्ठापन का प्रारम्भिक निरीक्षण।

प्रसंग : निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0शासन, लखनऊ का पत्र संख्या 1076 मु0/ई0/एच0टी0/ड्राइंग–अनुमोदन/2016–17, दिनांक 11–08–2016 एवं आपका पत्रांक शून्य एवं दिनांक शून्य। ट्रेजरी चालान संख्या 60022 दिनांक 27–04–2017, रूपया 16,250–00 ।

प्रिय महोदय,

उपरोक्त विषयक के विद्युतीय अधिष्ठापनों का प्रारम्भिक निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 24 –07–2017 को करने पर अधिष्ठापन भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के सुसंगत नियमों का समान्यतया सन्तोषजनक अनुपालन करता हुआ पाया गया।

ट्रांसफारमर का विवरण निम्नवत् है।

क्र0सं0	उपकरण	मेक	क्षमता	वोल्टता	सीरियल नं0
1–	ट्रांसफारमर	PIONEER	250 के0वी0ए0	6.6/0.433 के0वी0	PE/259

अतः उपरोक्त विवरण उच्च विभव ट्रांसफारमर को सजीव करने की अनुमति प्रदान की जाती है। कृपया विद्युतीय अधिष्ठापनों की क्षमता एवं स्थल में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो लिखित अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही सजीव/प्रयोग में लाया जाए।

ट्रांसफारमर भवन के निकट अधिष्ठापित किया गया है। उपभोक्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त भवन उसी का है। अतः उनको भवन के निकट ट्रांसफारमर अधिष्ठापित किये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

नोटः–– कृपया अनुमोदित रेखा चित्र के अनुसार ट्रांसफारमर के न्यूट्रल की डबल अर्थिंग करवाया जाना सुनिश्चित्करें। यदि भविष्य में जनरेटर अधिष्ठापित किया जाता है तो, इस कार्यालय द्वारा अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही उसे प्रयोग में लाया जायें

भवदीय,

(संजय कुमार पाण्डेय)
उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा,
उ0प्र0शासन, कानपुर रीजन, कानपुर।

संख्या उ0नि0/वि0सु0/का0री0/एच0टी0/नियम–63/निरी0/2017–18, तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :––

1– निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2– सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0शासन, कानपुर जोन, कानपुर।
3– अधिशाषी अभियन्ता, नगरीय विद्युत वितरण खण्ड, आलू मण्डी, केस्को, कानपुर।

(संजय कुमार पाण्डेय)
उप निदेशक विद्युत सुरक्षा
उ0प्र0 शासन, कानपुर रीजन, कानपुर

24–07–17

कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड

दूरभाष सं0 : 0512–2530834
फैक्स सं0 : 0512–2530832

"केसा हाउस"
14/71, सिविल लाइन्स
कानपुर– 208001

पत्रांकः 282 / वि0भार/पीए(टी) दिनांकः 23.5.1...

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0पा0का0लि0 लखनऊ द्वारा जारी "विद्युत आपूर्ति संहिता 2005" के तृतीय संशोधन के प्रस्तर 4.9 में निहित आदेशो के अन्तर्गत निम्नलिखित आवेदक के सम्मुख दिये गये विवरणानुसार भवन/परिसर के विद्युतीकरण हेतु 150.00 कि0वा0 का विद्युत भार एकलबिन्दु मीटरिंग प्रणाली के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है:–

क्रम सं0	पंजीकरण सं0	आवेदक का नाम/पता	भार लेने का स्थान	विद्युत भार	विधा/श्रेणी
01	एन.एस.सी. /43/ 13–14	श्रीमती शकुन्तला साहनी, परिसर सं0 63/3, हरवंश मोहाल, कानपुर।	परिसर सं0 63/3, हरवंश मोहाल, कानपुर।	150 कि0वा0	वाणिज्यिक (एच0टी0 बल्क)

1. आवेदक को उपरोक्त भार की स्वीकृति उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आंवटन पत्र सं0 75/भवन/2006–07 दिनांक 22.08.2012 के द्वारा जारी की गयी है। उ0प्र0सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता इंगित करने पर भार निरस्त कर दिया जायेगा।
2. उपरोक्त भार केस्को की विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 (तृतीय संशोधन) के प्रस्तर 4.9 के तहत अवमुक्त किया जायेगा।
3. भार की स्वीकृति/अवमुक्ति आदि के सम्बन्ध में नियम में वर्तमान नियमों व समय–समय पर संशोधित नियमो का पालन आवेदक द्वारा मान्य होगा।
4. विद्युत आपूर्ति शासन/निगम द्वारा समय–समय पर लागू रोस्टिंग कार्यक्रम के अनुसार होगी।
5. प्रस्तावित परिसर में पूर्व में विद्युत बिल बकाया होने की स्थिति में बकाया राशि पूरी जमा करने एवं निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त ही विद्युत भार अवमुक्त करने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई और धनराशि देय होगी तो उक्त सन्दर्भित भी आवेदक को भुगतान करनी होगी।
6. कम्पनी द्वारा निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद ही विद्युत भार अवमुक्त किया जायेगा।
7. विपरीत प्रणाली दशाओं/आपातकालीन रोस्टिंग अथवा विद्युत कटौती की स्थिति में विद्युत आवश्यकता/मॉग बनाये रखने के लिये उपभोक्ता को परामर्श दिया जाता है कि उपर्युक्त क्षमता का जनरेटिंग सेट लगा ले, उसके लिये कम्पनी/निदेशक दिद्युत सुरक्षा निदेशालय की पूर्वानुमति अलग से प्राप्त करनी होगी।
8. यह स्वीकृति उसी दशा में मान्य होगी,जब शासनादेश सं0 501/09–अ–2001(ब) दिनाक 3.2.01 में दी गयी शर्तो एवं भूकम्परोधी अन्य आदेशो का अनुपालन सुनिश्चित किया गया था।
9. भवन के विद्युतीकरण हेतु टी0सी0 के साथ निदेशक विद्युत सुरक्षा से भार अवमुक्त की अनुमति नियमानुसार राजकीय कोषागार में जमा करनी होगी एवं सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा उ0प्र0शासन,कानपुर के पत्रांक 2031 दिनांक 16.02.02 का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। कनेक्शन अवमुक्त होने से पूर्व आवेदक विद्युत निरीक्षक (विद्युत सुरक्षा) द्वारा विद्युतीकरण का निरीक्षण करवायेगा तथा क्लीयरेन्स सर्टीफिकेट प्रस्तुत करेगा।
10. सिस्टम लोडिंग चार्जेज अन्य चार्जेज/धनराशि नियमानुसार देय होगी।
11. ऊर्जा मापक (इनर्जी मीटर) भूतल पर लगाया जायेगा। मीटर लगाने के लिये विकासकर्ता/आवेदक द्वारा पर्याप्त सुरक्षित स्थान/कमरा उपलब्ध कराया जायेगा। आवेदक आपूर्ति के बिन्दु को ऐसे अवधारित करेगा कि मीटर और अन्य उपकरण सदैव निरीक्षण के लिए अवरोध के बिना अनुज्ञप्तिधारी के लिए पहुँच योग्य हो तथा अनुज्ञप्तिधारी को ऊर्जा मापक कक्ष में पहुँच के लिए स्वतन्त्र प्रवेश दे।
12. प्लॉट/अपार्टमेन्ट/भवन पर कोर्ट केस होने की दशा में या के0डी0ए0/कानपुर, नगर निगम/ तहसील द्वारा विवाद उत्पन्न होने पर विद्युत संयोजन अवमुक्त नही किया जायेगा एवं यह स्वीकृति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
13. आदेश सं0 1388/पी0ए0(टी0)/केस्को, दिनाक 05.02.2014 के अनुपालन में उपभोक्ता के भार स्वीकृति पश्चात् सम्बन्धित कार्य सम्पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत कराया जाएगा। यदि विद्युतीकरण का कार्य आवेदक द्वारा कराया जाता है, तो उसे प्रबन्ध निदेशक महोदय के अनुमोदनपरान्त ही 15 प्रतिशत सुपरवीजन चार्ज जमा करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

14. केबिल / स्विच गियर परिवर्तक एवं अन्य सम्बन्धित विद्युत सामग्री / उपकरण,जो विकासकत द्वारा लगवाये जायेगे का निरीक्षण फर्म के सस्थान पर अधिशाषी अभियन्ता वि0 एवं परी0 उनके प्रतिनिधि जो सहायक अभियन्ता स्तर से कम न हो के द्वारा सम्मिलित रूप से कि उपरान्त ही विद्युत उपकरण व अन्य सामग्री को स्थापित किया जायेगा। तथा उनके क्षतिग्रस उसकी मरम्मत / बदलवाने का कार्य विकासकर्ता को सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता वितरण अनुमोदन के बाद उपकरण लगाने की तिथि से 36 माह तक स्वयं कराने होगें।

15. विद्युतीकरण से सम्बन्धित अन्तिम ड्राइंग / प्राकलन आदि विकासकर्ता द्वारा अधिशासी अभियन को प्रस्तुत किया जायेगा एवं महाप्रबन्धक वितरण की स्पष्ट आख्या संस्तुति सहित केस्को मुर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

16. विद्युत भार अवमुक्त करने के सन्दर्भ में विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 के प्रस्तर 4 के शतप्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जायेगा। तथा नियमानुसार चार्जेज जमा कराने के स विद्युत संयोजन दिया जायेगा।

17. विद्युत आपूर्ति करने वाले उपकेन्द्र एवं सम्बन्धित 11 / 6.6 फीडर के अधिभारित होने की उपकेन्द्र / फीडर की क्षमता वृद्धि करने के उपरान्त ही विद्युत भार अवमुक्त किया जायेगा।

18. भार स्वीकृति हेतु बनाये गए प्राकलन की धनराशि केस्को में जमा करने के उ अस्थायी / स्थायी संयोजन निर्गत किया जाएगा।

प्रबन्ध निदेशक
केस्को

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1 अधीक्षण अभियन्ता वि0 / वि0 मण्डल प्रथम/द्वितीय/तृतीय / चतुर्थ केस्को कानपुर को इस आशय कि उपरोक्त सभी विद्युत सामग्री / उपकरणो का स्थापन अनुमोदित ड्राइंग के अनुसार करा सुनिश्चित करेगें।

2 उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण,मोतीझील कानपुर।

3 अधिशापी अभियन्ता, बल्क, केस्को कानपुर।

4 अधिशापी अभियन्ता वा0 / वि0–फूलबाग, केस्को कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि नये का बुक के अनुसार ही प्राकलन मानक के अनुरूप बनाया जायेगा एवं उपरोक्त विद्युत भार की नि एवं सम्बन्धित परिवर्तक के ऊर्जीकरण की तिथि से इस कार्यालय को अवगत करायें।

5 सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, फजलगंज, कानपुर।

6. श्रीमती शकुन्तला साहनी, परिसर सं0 63 / 3, हरवंश मोहाल, कानपुर ।

(शैलेन्द्र कुमार)
वैयक्तिक सहायक (प्रावि